न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/60/2025 रजू दिनांकः 07.05.2025 रजि0 न0 2025/104

अपीलार्थीः—

श्री दयानन्द शर्मा, निवासी 5 क 28, शिवाजी पार्क अलवर, जिला अलवर 302020 (राज0)

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर, जिला अलवर (राज0)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 27.05.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम,2005) की धारा—6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र के माध्यम से आवेदन दिनांक 29.03.2025 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।

2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 20.05.2025 को उपस्थित आवें।

8. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/896 दिनांक 20.05.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है, कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व सूचना आवेदन दिनांक 29.03.2025 के परिपेक्ष्य में सूचना नहीं मिलने बाबत अभिकथन प्रस्तुत किया है। उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन संख्या 293944366544244 दिनांक 29.03.2025 के अनुकम में कार्यालय स्तर पर संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर RTI Online Portal पत्र संख्या 9139947086 दिनांक 19.05.2025 के माध्यम से विनिश्चय कर बिन्दुवार 21 पृष्ठीय सूचना से संसूचित किया जा चुका है। तथापि प्रथम अपील के अनुसरण में पूर्व प्रेषित सूचना/विनिश्चय पत्र की छायाप्रति अपीलार्थी को पुनः भिजवाई जा रही है।

4. पत्रावली का अवलोकन किया जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब एवं संलग्नक पत्रादी के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबध में ऑनलाईन पोर्टल पत्र सं0 9139947086 दिनांक 19.05.2025 के माध्यम से सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकी है तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि कमांक सम/897 दिनांक 20.05.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में सूचना व आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचना अपीलार्थी को पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

5. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)